



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

फ़ाइल संख्या. 3-8/2004/केविस(स्था.1)/13422-13424

दिनांक: 25.06.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री करुणाकरन सी., सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एर्णाकुलम संभाग को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल- 12 (रू 78,800-2,09,200) में उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जीट, ग्वालियर में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 15.07.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ.आर. 22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


25/06/19
(वरुण मिश्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री करुणाकरन सी.
सहायक आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
एर्णाकुलम संभाग।

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एर्णाकुलम संभाग।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जीट, ग्वालियर।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

फ़ाइल संख्या. 3-8/2004/केविसं(स्था.1)/13428-13438

दिनांक: 25.06.2019

ज्ञापन


विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर, सक्षम अधिकारी ने श्री शैक ताजुद्दीन, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय), नई दिल्ली को केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पे मेट्रिक्स लेवल-12 (रू 78,800-2,09,200) में उपायुक्त के पद पर पदोन्नत किया जाना अनुमोदित किया है। प्रारम्भ में उनको केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर में तैनात किया जाता है।

2. यदि उनको पदोन्नति प्रस्ताव स्वीकार्य है तो वे इस ज्ञापन की प्राप्ति से 07 दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति भेजें और दिनांक 15.07.2019 तक उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें।

3. सहायक आयुक्त के पद पर पे मेट्रिक्स के उपरोक्त पे लेवल में उनका वेतन निर्धारण एफ. आर.22(I) (a)(1) के प्रावधानों एवं के.वि.सं. के कर्मचारियों के लिए लागू वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या - 1/1/2008-IC dated 13.09.2008 में दिये गए निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। उनके पास अपना वेतन निर्धारण (i) पदोन्नति पर पद ग्रहण करने की तिथि या (ii) निचले ग्रेड में अगली वेतन वृद्धि की तिथि से करवाने का विकल्प होगा। पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने के एक माह के भीतर उनको यह विकल्प देना होगा और दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

4. यदि वे निर्धारित तिथि तक अपनी स्वीकृति प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह मान लिया जाएगा कि उन्होंने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। पदोन्नति के इंकार करने पर, इंकार करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक उन्हें कोई पदोन्नति प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा। वह उपरोक्त पद पर पदोन्नति उपरांत अपने कनिष्ठ, जिन्हें पहले यह पद दिया गया है, चाहे चयन के या वरिष्ठता के आधार पर, के मुकाबले उपर्युक्त पद के लिए अपनी वरिष्ठता खो देंगे। यदि उनके द्वारा पदोन्नति को अस्वीकार करने के लिए दिये गए कारण नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य नहीं हों तो पदोन्नति को जबरन लागू किया जा सकता है।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(वरुण मित्र)

सहायक आयुक्त (स्था.1)

श्री शैक ताजुद्दीन,
सहायक आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.)
नई दिल्ली।

प्रतिलिपि:

1. अपर आयुक्त (प्रशा.)/(शैक्षिक), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. संयुक्त आयुक्त (प्रशि.)/(शैक्षिक)/(कार्मिक)/(प्रशा.)/(वित्त), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
3. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जबलपुर संभाग।
4. व्यक्तिगत पंजिका।
5. गार्ड फ़ाइल।